

बंधुत्व की भावना को पुनर्जीविति करना

यह एडटिलेरियल 27/04/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशिति **"The challenge of reviving a sense of fraternity"** लेख पर आधारित है। इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामलि कथि गए बंधुत्व के सदिधांत और बंधुत्व की अवधारणा के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

[प्रस्तावना](#), [42वाँ संशोधन अधिनियम](#), [मौलिकि करतव्य](#), संविधान सभा

मेन्स के लिये:

बंधुत्व का अर्थ, बंधुत्व के आदरशों को प्राप्त करने की चुनौतियाँ

बंधुत्व (Fraternity) का अभिप्राय है सभी भारतीयों के सामान्य बंधुत्व की भावना, जो सामाजिक जीवन को एकता और एकजुटता प्रदान करती है।

बंधुत्व का वचार सामाजिक एकजुटता (Social Solidarity) से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है, जस्ते सार्वजनिक समानुभूति (Public Empathy) के बनी प्राप्त करना असंभव है।

आचार्य कृपलानी ने रेखांकिति कथि था कि प्रस्तावना के आधारभूत तत्त्व (Contents)न केवल वधिकि और राजनीतिकि सदिधांत थे, बल्कि इनमें नैतिकि, आध्यात्मिकि और रहस्यवादी तत्व भी शामलि थे।

यह वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिकि मांग बन गई और अप्रैल 1936 में लखनऊ सतर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे आधिकारिकि तौर पर स्वीकार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि पिंडति नेहरू ने ही बाद में 'उद्देश्य संकल्प' (Objectives Resolution) का मसौदा तैयार कथि था।

संविधान सभा के समापन सतर में भीम राव अंबेडकर ने संविधान में बंधुत्व के सदिधांत की मान्यता के अभाव की ओर ध्यान आकर्षिति कथि। उन्होंने कहा कि 'बंधुत्व के बनी समानता और स्वतंत्रता की जड़ें अधिकि गहरी नहीं होंगी।' ("without fraternity, equality and liberty would be no deeper than coats of paint")।

संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार कथि गया था जहाँ बंधुत्व को आधारभूत सदिधांतों में से एक के रूप में चहिनति कथि गया था। हालाँकि, बंधुत्व की अवधारणा को प्रयाप्त रूप से समझा नहीं गया है और इसके करतव्यों का संविधान में सूष्टि रूप से उल्लेख नहीं कथि गया है।

बंधुत्व की प्राप्तिके मार्ग की चुनौतियाँ

- सामाजिकि और सांस्कृतिकि मतभेद:
 - वभिन्न समुदायों के बीच संस्कृतियों और परंपराओं की विविधता भरातीय और संघर्ष का कारण बन सकती है।
 - यह सामाजिकि और सांस्कृतिकि अवरोध उत्पन्न कर सकती है जो भरातीय/भाईचारे की भावना को बाधति करती है।
 - उदाहरण के लिये, धार्मिकि या जाति-आधारित मतभेदों से अवशिवास, भेदभाव और यहाँ तक कि हिंसा की भी स्थितिबन सकती है। इससे बंधुत्व का क्षरण और समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है।
- आरथिकि विषयताएँ:
 - समाज के वभिन्न वर्गों के बीच वृहत आरथिकि वभिजन असंतोष और भेदभाव की भावनाओं को जन्म दे सकता है, जस्ते नागरिकों में वशिवास और सहयोग की कमी की स्थितिबन सकती है।
 - जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण वयवहार कथि जा रहा है या उनकी आरथिकि स्थितिउनकी सफलता के लिये बाधा है, तो वे साझा भलाई के लिये सहयोग करने और मलिकर कार्य करने की कम संभावना रखते हैं।
 - इससे उस सामाजिकि संसंजन (Social Cohesion) का विखिंडन हो सकता है जो बंधुत्व का एक मूलभूत पहलू है।
- राजनीतिकि मतभेद:

- राजनीतिक विचारधाराएँ समाज में गहरे वभिजन पैदा कर सकती हैं और सहयोग एवं संवाद को बाधति कर सकती हैं।
 - राजनीतिक मतभेद ध्रुवीकरण की ओर भी ले जाते हैं, जहाँ लोग राजनीतिक रेखाओं पर गहनता से वभिजति हो जाते हैं।
 - यह शत्रुता और असहिष्णुता का माहौल उत्पन्न कर सकता है, जहाँ लोग रचनात्मक संवाद में संलग्न होने या साझा लक्ष्यों की दशा में कार्य करने के प्रति अनिच्छुक होते हैं।
- वशिवास की कमी:
- वभिन्न समूहों के बीच वशिवास और आपसी समझ की कमी भ्रातृत्व की भावना को कमज़ोर कर सकती है।
 - जब लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं या उनमें भ्रांतियाँ होती हैं तो एक साझा लक्ष्य के लियमलिकर कार्य करना कठनि हो जाता है।
- संवैधानिक नैतिकता की वफिलता:
- संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality), जो भारतीय संविधान में नहिति मूल्यों पर आधारति है, बंधुत्व को बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण है।
 - संवैधानिक नैतिकता से संस्थानों और वधि के शासन के प्रति भरोसा कम होने की स्थिति बन सकती है।
 - यह अनिश्चितिता और अस्थिरिता का माहौल उत्पन्न कर सकता है, जो अंततः समाज में भ्रातृत्व और सामाजिक संसंजन की भावना को कमज़ोर कर सकता है।
- अपराधिक नैतिक व्यवस्था:
- लोकतंत्र की सफलता के लिये समाज में एक कार्यशील नैतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसमें नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायत्व और सामाजिक न्याय की भावना का पालन करना शामलि है।
 - इस विषय में कोई भी असफलता भ्रातृत्व की भावना के क्षरण का कारण बन सकती है।
 - उदाहरण के लिये, यदविधक्तयों को अनैतिक कृत्यों के लिये जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, तो इससे नागरिकों के बीच भरोसे का क्षरण हो सकता है, जिसके परणिमस्वरूप सामाजिक और सास्कृतिक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं जो फरि बंधुत्व को बाधति करती हैं।

बंधुत्व से संबंधित संवैधानिक उपबंध

- प्रस्तावना:
- संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ ही बंधुत्व के संविधान को भी शामलि किया गया है।
- मूल करतव्य:
- वर्ष 1977 में 42वें संशोधन द्वारा मूल करतव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को शामलि किया गया जसे वर्ष 2010 में 86वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया।
 - अनुच्छेद 51 A(e) में “भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का नरिमान करने” के प्रत्येक नागरिक के करतव्य को संदर्भित किया गया है।

भारतीय संदर्भ में बंधुत्व की प्राप्तिके लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- अंतर-धारमकि संवाद को बढ़ावा देना:
- भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक और धारमकि वरिसत संपन्न विधितापूर्ण देश है। वभिन्न धर्मों/पंथों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित करने से बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिल सकता है।
- विधिता का सम्मान करना:
- भारत वभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों का घर है। मतभेदों का सम्मान करने और विधिता को स्वीकार करने से लोगों को नकिट लाने और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है।
- संवैधानिक मूल्यों के बारे में लोगों को शक्षिति करना:
- भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे कई मूल्यों को स्थापित करता है। इन मूल्यों के बारे में लोगों को शक्षिति करने से उनमें बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है।
- स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करना:
- सामाजिक कारणों के लिये स्वयंसेवा (Volunteering) वभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ ला सकती है और उनहें एक साझा लक्ष्य की दशा में कार्य करने में मदद कर सकती है, जिससे बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- सामाजिक पहलों का समर्थन करना:
- समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने वाली सामाजिक पहलों का समर्थन करने से समाज में बंधुत्व की भावना उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है।
- राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना:
- देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने लोगों को एक साथ ला सकता है और यह बंधुत्व एवं एकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

- बंधुत्व एक आवश्यक संविधान है जिसके लिये सामूहिक कार्रवाई और सार्वजनिक समानुभूतिकी आवश्यकता होती है। संविधान बंधुत्व के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन इसके नहितिरथों एवं करतव्यों के लिये आगे और अधिक विरेश एवं समझ की आवश्यकता है। भीम राव अंबेडकर ने संविधान के मसौदे में एक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि बंधुत्व की प्राप्तिआसान नहीं है।
- सामान्य भावना के मनोवैज्ञानिक तथ्य और बंधुत्व या सहयोग के राजनीतिक संविधान के बीच अंतर करना होगा। संविधान में नहिति नैतिक मूल्यों की खोज करके भारत में बंधुत्व की भावना का पुनरुद्धार किया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय संविधान में मौजूद बंधुत्व की अवधारणा का विश्लेषण करें और वर्तमान भारत में बंधुत्व की भावना के पुनरुद्धार के मार्ग की चुनौतियों की चर्चा करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न:

प्र. नमिनलखिति में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? (2017)

- (a) विचार की स्वतंत्रता
- (b) आरथिक स्वतंत्रता
- (c) अभियक्ति की स्वतंत्रता
- (d) विश्वास की स्वतंत्रता

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनरिपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आरथिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभियक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरमी और राष्ट्र की एकता
तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये

- दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधनियमति और आत्मारप्ति करते हैं। ”
- अतः वकिलप (b) सही है।

प्रश्न:

प्र. 'प्रस्तावना' में 'गणराज्य' शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिये। क्या वे वर्तमान परस्थितियों में परिक्षण योग्य हैं? (2016)